देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ....1344.... / भू अ० दिनांक : 18/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–मांझी मटेरिया, थाना–पालोजोरी, थाना सं०–482, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **खागा–फुटानी चौक–डीगरी–डुमरिया मोड़–महापुर पथ पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–मांझी मटेरिया, थाना–पालोजोरी, थाना सं०–482, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.58 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	971	रैयती	बाड़ी–2	0.15	लुखीराम हांसदा पे० लगन हांसदा वो जयसिंह हांसदा वो पचन हांसदा वो जिदो हांसदा पे० गैड़म हांसदा वो मीना बेसरा पति नुनलाल हांसदा वो हराधन हांसदा पे० रावण हांसदा वो मदन हांसदा वो बाबुकुड़ा हांसदा पे० बुधन हांसदा वो पुलीस हांसदा पे० रामसाय हांसदा वो रसिका हांसदा पे० शिवा हांसदा।	अर्जित खेसरा का शेष अंश	महेशबथान	पाण्डेडीह	कपसियो
2	3	918	रैयती	बाड़ी–2	0.085	खारू हेम्ब्रम वल्द दुर्गा हेम्ब्रम (ज०रै०) जाति संथाल सा० देह।				
3	3	954	रैयती	धानी–3	0.005	तथैव।				
4	6	1003	रैयती	धानी–3	0.095	देशन मुर्मू वो मसुदन मुर्मू पे० पेका मुर्मू वो लिखन मुर्मू वो सबुधन मुर्मू पे० नुनुलाल मुर्मू वो गिरीश मुर्मू वो छेटे मुर्मू पे० जेठा मुर्मू वो नुनक मुर्मू वो महेन्द्र मुर्मू पे० बुटु मुर्मू				
5	6	1005	रैयती	धानी–3	0.025	तथैव।				
6	6	1019	रैयती	बाड़ी–1	0.025	तथैव।				
7	6	990	रैयती	धानी–3	0.055	बालेश्वर मुर्मू वो मेनेजर मुर्मू पे० दारू मुर्मू वो राखाल मुर्मू पे० बड़का मुर्मू वो गुजा मुर्मू (आर०टी०) वल्द साहेब मुर्मू सा०देह।				
8	6	1017	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव।				
9	6	1004	रैयती	धानी–3	0.035	दीपक मुर्मू वो अशोक मुर्मू पे० सुशील मुर्मू वो सुरेन्द्र मुर्मू वो नन्दलाल मुर्मू वो उवीलाल मुर्मू पे० सरयू मुर्मू वो गोबिन्द मुर्मू पे० जोल्हा मुर्मू सा०देह।				
10	6	1006	रैयती	धानी–3	0.005	बालेश्वर मुर्मू वो मैनेजर मुर्मू पे० दारू मुर्मू वो राखाल मुर्मू पे० बड़का मुर्मू सा०देह।				

11	6	1015	रैयती	बाड़ी–1	0.01	[redacted] देशन मुर्मू वो मसुदन मुर्मू पे० पेका मुर्मू वो लिखन मुर्मू वो साबुधन मुर्मू पे० नुनुलाल मुर्मू वो गिरीश मुर्मू वो छेटे मुर्मू पे० जेठा मुर्मू वो नुनका मुर्मू वो महेन्द्र मुर्मू पे० बुटु मुर्मू सा०देह।				
12	6	1016	रैयती	बाड़ी–1	0.015	दीपक मुर्मू वो अशोक मुर्मू पे० सुशील मुर्मू वो सुरेन्द्र मुर्मू वो नन्दलाल मुर्मू वो उवीलाल मुर्मू पे० सरयु मुर्मू वो गोबिन्द मुर्मू पे० जोल्हा मुर्मू वो गुजा मुर्मू (आर०टी०) वल्द साहेब मुर्मू सा०देह।				
13	6	1018	रैयती	बाड़ी–1	0.03	तथैव।				
14	6	1099	रैयती	म०स०	0.015	बालेश्वर मुर्मू वो मैनेजर मुर्मू पे० दारू मुर्मू वो राखाल मुर्मू पे० बड़का मुर्मू वो देशन मुर्मू वो मसुदन मुर्मू पे० पेंका मुर्मू वो लिखन मुर्मू वो सबुधन मुर्मू पे० नुनुलाल मुर्मू वो गिरीश मुर्मू वो छेटे मुर्मू पे० जेठा मुर्मू वो नुनका मुर्मू वो महेन्द्र मुर्मू पे० बुटु मुर्मू वो दीपक मुर्मू वो अशोक मुर्मू पे० सुशील मुर्मू वो सुरेन्द्र मुर्मू वो नन्दलाल मुर्मू वो उबीलाल मुर्मू पे० सरयू मुर्मू वो गोबिन्द मुर्मू पे० जोल्हा मुर्मू वो गुजा मुर्मू (आर०टी०) पे० साहेब मुर्मू सा० देह।				
15	6	1013	रैयती	गड़िया	0.005	तथैव।				
16	8	1098	रैयती	बाड़ी–1	0.005	फागु मुर्मू वो सुराई मुर्मू वो गोबिन्द मुर्मू पे० प्रवीण मुर्मू (ज०रै०) जाति संथाल सा०देह।				
				कुल रकवा–	**0.58**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदा० देवघर 2.8.21

उपर समाहर्ता देवघर

16/08/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1344/ भू अ०, देवघर, दिनांक 18/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदा० देवघर 2.8.21

अपर समाहर्त्ता देवघर

16/08/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।